-VNK/GSP-DS/12.00/1J

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत): आज भी वे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज वे सड़कों पर आना चाहते हैं। आज जम्मू-कश्मीर की सरकार और केन्द्र सरकार का जिस ढंग का रवैया है, उससे पहले जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू-कश्मीर में हुआ था, आज उसी तरह का एक आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ के मंत्रियों ने केन्द्र की तरफ से जो आश्वासन दिए हैं, उन सभी आश्वासनों को पूरा किया जाए, ताकि जिन लोगों का डैमेज हुआ है, वे कम से कम अपने काम शुरू कर सकें, वे अपनी दुकानदारी शुरू कर सकें, वे अपनी प्रॉपर्टी को ठीक कर सकें और दूसरा, जो गिल्टी पर्सन्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन, ऐसा वहाँ नहीं हुआ बल्कि अब इसके उलट हो रहा है और अब वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर केस रजिस्टर्ड होने की बात सामने आ रही है।

सर, मेरा एक सज़ेशन यह है कि जो ऐसे प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर दंगे होने का डर रहता है, वहाँ पर सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जिससे वहाँ रहने वाले सभी लोगों का इंश्योरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से हो, ताकि वे कम से कम इस त्रासदी से बच सकें। वर्ष 2008 में उन लोगों ने दंगों के कारण अपना बिजनेस छोड़ा। आज बड़ी प्लानिंग से इसमें सरकार भी शामिल हो गई है कि उनको कम्पन्सेशन न दिया जाए और वे वहाँ से भाग जाएँ। (समय की घंटी) इसलिए उनको इमीडीएटली कम्पन्सेशन दिया जाए।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ..(Interruptions).. It is over.

SHRI V.P. SINGH BADNORE (RAJASTHAN): Sir, I would like to associate myself with this issue raised by the hon. Member.

DR. CHANDAN MITRA (MADHYA PRADESH): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (ODISHA): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (**उत्तर प्रदेश**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री ब्रजेश पाठक (**उत्तर प्रदेश**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री संजय राउत (**महाराष्ट्र**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री अनिल देसाई (**महाराष्ट्र**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रघुनन्दन शर्मा (**मध्य प्रदेश**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला (**राजस्थान**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (**झारखंड**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री नंद कुमार साय (**छत्तीसगढ़**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री बसावाराज पाटिल (**कर्णाटक**): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the associations to be added. ..(Interruptions).. Next is Mr. K.C. Tyagi. ..(Interruptions).. Hon.

Minister wants to react. Yes, please. ...(Interruptions).. Tyagi ji, hon. Minister wants to react. ..(Interruptions).. Please listen. ..(Interruptions)..

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: उपसभापति जी ..(व्यवधान)..

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला): आप मेहरबानी करके सुनिए। ..(व्यवधान).. एक मिनट सुनिएगा। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: कश्यप जी, आप बैठिए। ..(व्यवधान).. सुनिए।..(व्यवधान)..

DR. FAROOQ ABDULLAH: Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to inform this House that the Government has already got the ex-Justice of the High Court enquiring into it, and, I can assure you that his findings will be there and everything will be done to maintain the communal harmony in that entire region.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri K.C. Tyagi. ..(Interruptions).. Mr. K.C. Tyagi, please. ..(Interruptions)..

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, ..(व्यवधान).. वहाँ पर जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनको वहाँ से भागना न पड़े, आप इस बात की भी चिन्ता करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

डा. फारूख अब्दुल्ला: ठीक है।

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, मेरा कम्पन्सेशन का सवाल है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. K.C. Tyagi.

..(Interruptions)..

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: सर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि..(व्यवधान)..

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): उपसभापति महोदय, ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tyagi, please start speaking. ..(Interruptions).. You don't look there. You address the Chair. ..(Interruptions).. त्यागी जी, आप बोलिए, नहीं तो..(व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: किश्तवाड़ की घटना में हमारे..(व्यवधान)..

श्री के.सी. त्यागी: कश्यप जी, प्लीज़। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: त्यागी जी, आप बोलिए। Mr. Tyagi, you address the Chair. Don't look there. ..(Interruptions)..

श्री के.सी. त्यागी: उपसभापति महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मामले को आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What Mr. Kashyap says will not go on record. ..(Interruptions).. What you are saying is not going on record. Please sit down. ..(Interruptions)..

***Not recorded.**

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ..(Interruptions)..

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called Mr. Tyagi. ..(Interruptions)..Please. ..(Interruptions).. What is your problem? If you want to associate, you can do so. All the associations are already recorded. ..(Interruptions).. No, no.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. It is not going on record. ..(Interruptions)... This cannot be allowed. ...(Interruptions)... This cannot be allowed. You take your seat. You take your seat. ..(Interruptions)... It is not going on record.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give notice. ..(Interruptions).. If you want to say something, give notice. ..(Interruptions).. Without notice, you cannot... ..(Interruptions).. This is not a market place to stand up to say anything. This is Parliament. ..(Interruptions)..

***Not recorded**.

It is not going on record. ..(Interruptions).. Mr. Tyagi, you please start speaking. ..(Interruptions).. Mr. Tyagi. ..(Interruptions)..

श्री के.सी. त्यागी: सर, पहले आप हाउस को ऑर्डर में लाइए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, you sit down. I will call the next Member. ..(Interruptions)..

श्री के.सी. त्यागी: सर, यह आपकी जिम्मेदारी है कि हाउस ऑर्डर में आए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to speak, start speaking, otherwise, I will call the next Member. ..(Interruptions)..

SHRI K.C. TYAGI: I want to speak. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, why don't you speak? ..(Interruptions)..

(followed by 1K-SK)

-DS/MCM-SK/12-05/1K

ESTABLISHMENT OF A SEPARATE BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT IN WESTERN UTTAR PRADESH.

श्री के0सी0 त्यागी (बिहार) : सर, देश की 10 करोड़ आबादी की तकलीफ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से लगातार यह मांग चल रही है कि वहां पर हाई कोर्ट की एक बैंच की स्थापना की जाए। जसवंत सिंह आयोग बना, उसने रिकमण्डेशन दी कि हां, बननी चाहिए। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि बननी चाहिए। जो संविधान के निर्माता थे डा0 अम्बेडकर और उनके सहयोगी भी थे, उन सबने लिखा कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सस्ता न्याय मिलना चाहिए और सबके द्वार पर जाना चाहिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद लगभग 700 किलोमीटर पड़ता है। एक गरीब किसान को, मजदूर को अपनी बात कहने के लिए, वहां जाने के लिए कितना

खर्चा करना होता होगा, कितनी मुसीबतें होती होंगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना के साथी बतला रहे थे, यह महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने पहले हाई कोर्ट की बैंच मांगी थी, आपने पूरा राज्य दिया लेकिन हाई कोर्ट की बैंच नहीं मानी। अकाली दल के लोग हैं, उन्होंने चाहा कि गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस चल जाए और वेटिकन सिटी की तरह से शराब की दुकानें न हों। आपने देश के प्रधान मंत्री की जान दे दी, लेकिन आपने अमृतसर को वेटिकन सिटी का दर्जा नहीं दिया। बंटवारे के टाइम पर मुस्लिम लीग ने दो विभाग मांगे, आपने पाकिस्तान दे दिया लेकिन दो विभाग देने के लिए आप तैयार नहीं हुए। तो यह जो आपका माइंडसैट है, यह बहुत खतरनाक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में गंभीरता से बात की जाए और यहां से लेकर वहां तक सभी पार्टियों के नेताओं की राय जानी जाए, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता लगे कि इसके बारे में सब की क्या राय है। ये धरने पर जाएंगे, कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। फिर दूसरा धरना होगा, उसके भी साथ हैं। तीसरा होगा, कहीं भी हो। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच नहीं बनती है तो मैं चाहता हूं किजेटली जी के राज्य में दिल्ली के अंदर इन 15 जिलों को जोड़ करके हमें हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दे दी जाए। वरना मैं इस सदन में चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूफान उठेगा, आपका पानी बंद होगा, आपका दूध बंद होगा, आपका राशन बंद होगा और पूरी दिल्ली को हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के

लोग घेरेंगे, तब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोगे, लेकिन बैंच नहीं दोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां सभी दलों के नेता बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, मिश्रा जी से भी मैंने बात की थी। जो उपनेता है, वे निजी बातचीत में तो बड़ी अच्छी बात करेंगे हाथ जोड़ करके, लेकिन जब मौका आएगा तो उस वक्त हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे, । तो मैं चाहता हूं कि इनकी चुप्पी तुड़वाने का प्रयास होना चाहिए। दो लोगों की चुप्पी बड़ी खतरनाक है। एक तो डिप्टी एल0ओ0पी की और एक मिश्रा जी की। मैं चाहता हूं कि इसमें इनका इंटरवेंशन भी औरों की तरह से जोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : पहले त्यागी जी उत्तर प्रदेश से एम0पी0 बन कर आएं, तब हम उनकी बात सुनेंगे।

(समाप्त)

श्री किरनमय नन्दा (**उत्तर प्रदेश**) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री मोहम्मद शफ़ी (**जम्मू और कश्मीर**) : महोदय, मैं भी इसके साथ सम्बद्ध करता हूं।

جناب محمد شفیع (جموں و کشمیر) : مہودے، میں بھی اس کے ساتھ سمبدّ کرتا ہوں۔

(समाप्त)

HIKE IN PETROL AND DIESEL PRICES FOR THE SIXTH TIME IN THIS YEAR

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (WEST BENGAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, when the Parliament is in session, when we are

discussing very seriously the issue of rise in prices, its effect on the people, particularly on the farmers, and the Short Duration Discussion on this issue is pending, at that particular time price hike of diesel and petrol has been announced by the UPA-II Government. Sir, this is not the first time that it is happening. Since the UPA-II Government has come into existence, we have seen many such examples. I remember, on one occasion, just 12 hours before the Parliament session began, the prices of petrol were increased. Here, the increase in the price of petrol is of Rs. 2.35 per litre. This is the sixth increase in the price of petrol in the last three months. The price of diesel has been increased on the monthly basis of 50 paise per litre and a steeper increase is expected after the Parliament session is over. The prices of kerosene and gas will be increased and it will seriously affect all sections of people. Unable to check the falling value of the Rupee, the UPA Government is resorting to successive increases in the fuel prices. This will only add to the burden of the people by growing inflation and rising prices of all commodities. Sir, it is a matter of deep concern. This Government is responsible for the increasing miseries of the people. Prices are increasing and according to the Government, the number of BPL people is coming down. After the

UPA-II Government came into existence, decontrolling of petrol started. On diesel, they have taken an in-principle decision. Partial decontrol has been announced since January.

(Contd. by YSR/1L)

-SK/YSR-HMS/12.10/1L

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (CONTD.): When it comes to public transport, it has been mentioned here in Parliament, diesel price has been raised by 50 paise per litre per month. We hereby demand to scrap that Ordinance or that Government Order; it will be helpful to the people. What will happen if you include the local sales tax and VAT to it? It will definitely differ from city to city. It will further burden ..

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Thank you. Shri M. Venkaiah Naidu and Shri Derek O'Brien. ...(Interruptions)... The names of Shri Sitaram Yechury, Shri P. Rajeeve, Shri K.N. Balagopal, Shri T.K. Rangarajan and Shri D. Raja will be added. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

SHRI K.N. BALAGOPAL (KERALA): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (ODISHA): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member. ...(Interruptions)....

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश) : मैं स्वयं को माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी अपने को माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Venkaiahji, you can say it in one sentence. ...(Interruptions)... After that, Misraji and then Shri Derek O'Brien. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you sit, then only I can call you. ...(Interruptions)... Shri Naresh Agrawal also.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (KARNATAKA): Sir, what I suggest is ...(Interruptions)... Sir, I have no problem even if you call Mr. Derek also. He can be given an opportunity to speak. Mine is only one line. If you concede him, I will sit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I called you. I will call him if he sits.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the decision of the Government, when Parliament is in Session, without taking Parliament into confidence and making such a huge hike in petrol prices and giving a dose of 50 paise every month per litre of diesel, is totally anti-people. It is breaking the backbone of the common man. The farmers will be the worst hit because it will have a cascading effect.

Sir, my point is this. Now the Minister is coming up with a wonderful idea of closing petrol pumps at night. Tomorrow, he may say life should come to a halt at night. What is happening to this Government? I am unable to understand it. I want the Government to take Parliament into confidence before taking any such decision.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's all. ...(Interruptions)... Shri Derek O'Brien. Say that you associate in just one sentence.

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, three sentences. We have been standing here for thirty minutes. At least allow me to speak three sentences. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That was indiscipline. ...(Interruptions)... Standing and showing ...(Interruptions)... is indiscipline.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we are not disturbing anybody. The problem is that this Government has declared a war on the common man. This is one. Two, import lobbies may be encouraged for all this. Three, after making diesel hike and burdening the common man and worse still they make ill thought of ..

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's all. Now, Shri Naresh Agrawal to associate with it and then Misraji. No more discussion. That's all. ... That is over. श्री नरेश अग्रवाल जी का नाम ऐड हो गया, एसोसिएट हो गया। ..(व्यवधान)..

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैंने भी यह इश्यू उठाया है ..(व्यवधान).. मैं भी माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री उपसभापति : दूसरा नोटिस दे दो। ..(व्यवधान)..

श्री नरेश अग्रवाल : जब सदन चल रहा है, तब मंत्री जी सदन के अंदर घोषणा करने के बजाय सदन के बाहर घोषणा करें, यह ..(व्यवधान)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, in protest we are walking out.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (WEST BENGAL): In protest, we are walking out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Maitreyan. ...(Interruptions)... नरेश जी, बैठिए। ..(व्यवधान)..

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, सरकार का रवैया किसान विरोधी, छात्र विरोधी और गरीब विरोधी है, इस के विरोध में हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

DR. V. MAITREYAN: Sir, first set the clock again.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the discussion on price rise is there. So, there is no need of another notice. We will bring up all these issues. You please take up the discussion and continue that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We can do that after ...(Interruptions)... I will convey your suggestion to the Chairman. ...(Interruptions)... Today, BAC meeting is there. ...(Interruptions)... We can discuss it there. Today, BAC

meeting is there. ...(Interruptions)... You raise this issue there. ...(Interruptions)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए ..(व्यवधान).. उस पर चर्चा होनी चाहिए। ..(व्यवधान)..

SHRI SITARAM YECHURY: It is there in today's business.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can raise this issue in the BAC meeting today. ...(Interruptions)... We have already decided it.

(Followed by VKK/1M)

-YSR/VKK-MP/1M/12.15

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)... Sir, my point of order is कि जब इस हाउस में प्राइस राइज़ पर बहस चल रही है, उस बहस का जवाब नहीं आया है, उस समय अगर सरकार ने डीज़ल के दाम बढ़ाए हैं, तो यह इस सदन की सीधी अवमानना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे संरक्षक हैं, आप इसको गंभीरता से नोटिस में लें।

श्री उपसभापति : इसीलिए मैंने कहा कि आप इसके लिए नोटिस दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, यह लिस्टेड है, यह बहुत गंभीर विषय है। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी : सर, जब चर्चा चल रही है और ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Today, we have BAC. ...(Interruptions)... I am not denying the fact that it is a very important subject. The Chair has understood the seriousness. Because BAC is to meet today at 4.00 p.m., my request to the agitated hon. Members is that you raise it in BAC. We can decide there. That is the forum to decide. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, my appeal to you is that we are already in the middle of a discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have understood the point. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: I am only requesting that immediately after the Zero Hour is over, you take up that discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, the Chair cannot do that.

SHRI SITARAM YECHURY: It is there in the List of Business. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't enforce it on the Chair. ...(Interruptions)... Now, Dr. Maitreyan. ...(Interruptions)... I have noted it. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you take the opinion of the House and ask the Government to keep the decision pending. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, that way, we cannot function. ...(Interruptions)... We cannot function that way. ...(Interruptions)... There is a set order. ...(Interruptions)... We have to go by that. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, हम आपकी बात मानते हैं। हम बी.ए.सी. में चर्चा करेंगे, लेकिन आप ऐज़ डिप्टी चेयरमैन हमारे संरक्षक भी हैं और जब सदन में यह बहस चल रही है, बहस पर सरकार का जवाब आना है, तब डीज़ल के प्राइस को दोबारा रिवाइज़ किया जाना, यह तो सदन की सीधी अवमानना है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, आप सरकार को निर्देश दें। यह मामला सिर्फ बी.ए.सी. का नहीं है...(व्यवधान)... यह इस सदन की गरिमा की गंभीरता का विषय है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am only saying that you raise it in the proper format. ...(Interruptions)... It is Zero Hour. At this time, I cannot decide. ...(Interruptions)... You can give a notice. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is already there in the proper format. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have a published List of Business for today. We are working on that. If you want a change in that, that is a different matter. But, the Chair cannot *suo motu* take a

decision. ...(Interruptions)... I cannot change like that. ...(Interruptions)... That is not the way. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: There is no change. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We can't do like that. ...(Interruptions)... I am not saying that what you have said is not important. I am not saying that. The issue that you have raised is important. But, the Chair has to stick to some procedure. There is a List of Business with us. Let me go by that. ...(Interruptions)... You can raise it. ...(Interruptions)... Today, there is a List of Business. ...(Interruptions)... No, no, please cooperate. ...(Interruptions)... You have made your point. ...(Interruptions)... Yechuryji, you have made your point. ...(Interruptions)... Now, please cooperate. ...(Interruptions)... Rajaji, please cooperate. You have made your point. ...(Interruptions)...

श्री साबिर अली : सर, सिर्फ एक मिनट ...(व्यवधान)... सर, सिर्फ एक मिनट...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please cooperate. ...(Interruptions)... साबिर अली जी, बैठिए। ...(व्यवधान)... What can I do? ...(Interruptions)... Maitreyanji, I will be forced to adjourn the

House. ...(Interruptions)... साबिर अली जी, बैठिए। ...(व्यवधान)... Dr. Maitreyan, you speak. ...(Interruptions)... It will go on record. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, since you are not allowing this discussion after the Zero Hour and even when a discussion is going on, a decision has been taken by the Government, objecting to that, we are going to stage a walk-out.

(**At this stage, some hon. Members left the Chamber.**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Maitreyan.

RETRIEVAL OF KATCHATHEEVU AND RECENT STAND OF UPA GOVERNMENT ON IT

DR. V. MAITREYAN (**TAMIL NADU**): Sir, 1974 Agreement signed between India and Sri Lanka, between Shrimati Indira Gandhi and Shrimati Sirimavo Bandaranaike, on 26th June, 1974, had determined Katchatheevu as part of Sri Lanka and the islet was ceded by the Government of India unilaterally to Sri Lanka without the approval of both the Houses of Parliament for a Constitutional amendment in this regard. The stand of the Government of Tamil Nadu, led by Dr. *Puratchi Thalaivi*, is that Katchatheevu has always been a part of India geographically, culturally and

historically, and needs to be retrieved back, keeping in view the livelihood interests and security of thousands of Indian fishermen.

(Contd. by KR/1n)

KR/GS/1N/12.20

DR. V. MAITREYAN (CONTD.): The Tamil Nadu Assembly had passed a unanimous resolution in May, 2013 regarding the retrieval of Katchatheevu . My party General Secretary and the Chief Minister of Tamil Nadu had filed a writ petition before the Supreme Court in 2008 to consider 1974 and 1976 Agreements which have been the root cause for the untold misery of Tamil Nadu fishermen, as null and void, in the absence of the mandatory Constitutional amendment required and to retrieve Katchatheevu back to India.

Against this background, the entire Tamil Nadu is shocked that the UPA Government has responded last Friday in the Supreme Court that retrieval of Katchatheevu from Sri Lanka does not arise as no territory belonging to India was ceded to Sri Lanka. This is the greatest Indian betrayal of Tamil Nadu.

I would like to draw the attention of the House to the debate on 23rd July,1974 in Parliament when the statement regarding the 1974 Agreement was made by the then External Affairs Minister, Sardar

Swaran Singh. In that debate the great Madhu Limaye said, he spoke in Hindi, I would like to quote that here:

"पांच साल पहले उस समय के विदेश मंत्री श्री दिनेश सिंह ने इस सदन में कहा था Katchatheevu को जहां तक अपना मानने का सवाल है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उसको अपना मानते हैं।"

The former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee, said, I quote that here: "देश की पीठ के पीछे भारत की भूमि को विदेश को देने का निर्णय कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह समझौता नहीं यह समर्पण है। He again said, " Katchatheevu तमिलनाडु का एक हिस्सा है और भारत का भाग है। संविधान में बिना संशोधन किए क्या यह काम हो सकता है? "

When people have said like this, 40 years later the UPA Government is considering this country as the zamindari of the Congress Party.

The UPA Government's statement in the Supreme Court last Friday has once again proved that whether it is genocide of Tamils in Eelam, attack of Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy or the retrieval of the Katchatheevu, the Congress Party is anti-Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu will give the Congress Party and whoever aligns with it, a befitting reply in the coming Lok Sabha elections. Once our new Government is formed next year, Dr.

Puratchi Thalaivi will take all necessary steps to retrieve Katchatheevu back to India.

(Ends)

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Mr. Deputy Chairman, Sir, I will associate myself with the issue raised by Dr. Maitreyan in three sentences. Number one, I strongly deplore the affidavit filed by the Government of India in the Supreme Court on Katchatheevu. Number two, Sri Lanka treats the Katcha Theevu as a closed chapter. The Government of India should demand the reopening of the Katchatheevu Agreement, renegotiation of the Agreement. Number three, if the Government fails to do that the Government has the option to go to the International Court of Justice. This is a very important issue, as far as Tamil Nadu and India are concerned.

(Ends)

SHRIMATI KANIMOZHI (TAMIL NADU): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government of India in its affidavit has said that the Katcha-theevu has never been a part of the Indian territory.

I would like to point out that when India got Independence, the Katcha Theevu Island had a survey number of 1250 at Ramanathapuram in Tamil Nadu. It belonged to the Ramanathapuram Zamin.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (KARNATAKA): Mr. Deputy Chairman, Sir, it proved beyond doubt that this Katchatheevu was part of the Ramanathapuram Zamin. I request the Government to please understand the sentiments; and call an all party meeting about the renegotiation of Katchatheevu and revise your stand in the Supreme Court wherein you have filed a wrong affidavit. There is a reaction across the country.

(Ends)

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (TAMIL NADU) : Sir, let the Government react. It is a very important issue.

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (गुजरात): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

(समाप्त)

OUTBREAK OF DENGUE IN GUWAHATI AND OTHER PARTS OF ASSAM

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (ASSAM): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to mention about the outbreak of dengue in Assam.

I rise to stand here to draw the attention of the Government of India to save Assam from the recent outbreak of dengue. Recent outbreak of dengue turned Guwahati city and many parts of Assam as dangerous. Already five people have died in Assam; and more than 100 people have been admitted into several hospitals in Assam. Out of these five people who have died, four people have died in Guwahati and one person died in Chabua near Dibrugarh due to dengue.

The State Government and the Guwahati Municipal Corporation have totally failed to prevent dengue; and control its outbreak in Guwahati and other parts of Assam. The Guwahati Municipal Corporation has already identified 22 places as vulnerable for dengue in Guwhati.

(Continued by 1O/VK)

VK-AKG/1O/12.25

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (CONTD): There is a shortage of technicians, there is a shortage of laboratories and testing labs and there is a shortage of medical equipments. I

remember, Sir, when there was a dengue outbreak in Delhi, the Central Government initiated several programmes to prevent dengue outbreak in Delhi. I demand of the Government of India to pay the similar attention towards preventing dengue outbreak in Assam. They should make the similar arrangement in Assam also.

Sir, there is no All India Institute of Medical Sciences-type institute in Assam. There is no AIIMS-type hospital in Assam. Guwahati is the hub of the North-Eastern Region. Thousands of people from several parts of the North-Eastern Region and other parts of the country visit Guwahati daily. Sir, to prevent dengue in the North Eastern Region and other parts of the country, it is the duty of the Government of India to take adequate measures and send a special team of doctors with adequate medicines to Guwahati. I would like to make a request to the Government of India to please consider setting up a regional research centre in Guwahati. Otherwise, the situation will take a more serious turn and more and more people will lose their life. I would like to request the Government of India not to discriminate against Assam. Whatever attention you have paid to Delhi, I demand that the same attention be paid to Guwahati to prevent dengue outbreak because Guwahati is the hub of the North Eastern Region. I hope the whole

House will support me and associate itself with this issue.

(Ends)

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (BIHAR): Sir, I associate myself with this issue.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (KARNATAKA): Sir, I also associate myself with this issue.

DR. NAJMA A. HEPTULLA (MADHYA PRADESH): Sir, I associate myself with this issue.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with this issue.

DR. CHANDAN MITRA (MADHYA PRADESH): Sir, I associate myself with this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes, all the Members associate themselves with this issue.

(Ends)

SHUTING DOWN OF PETROL PUMPS AT NIGHT IN VIEW OF FALLING RUPEE AND RISING INTERNATIONAL CRUDE OIL PRICES

SHRI SANJAY RAUT (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Petroleum Ministry is planning to do away with 24-hour petrol pumps in cities as part of its austerity measures in view of the

falling rupee and rising international crude oil prices. This will cause a lot of inconvenience to the consumers across the country. The Ministry is planning to shut petrol pumps from 8.00 p.m. to 8.00 a.m. This will cause a lot of inconvenience to the consumers across the country, particularly in cities like, Mumbai, Delhi, Kolkata and Bangalore. The city never sleeps. Even in the night, you can see people working.

The Prime Minister wants the Petroleum Ministry to save 25 billion dollars in the current financial year from oil imports. The Petroleum Minister suggested some measures, including regulating the time for sale of petroleum products. But this measure will not be implemented on highways. This will encourage black marketing of petroleum products during the closure periods; otherwise, vehicles would be stranded. It would create traffic chaos. Ultimately it would affect the economic development of the country.

The Ministry is planning conservation campaign of saving fuel in major cities. This drive will cost Rs. 17.5 crores. The Government should have done it long back. The Government should focus on generating power from wind and solar. For example, in China, 60 per cent of the vehicles are run on solar

batteries. The Government should improve the condition of roads across the country. After every monsoon, roads are badly affected and become unfit for driving vehicles, which consume a lot of fuel. The Government should also encourage blending of ethanol with petrol to save fuel. The Government should encourage production of green vehicles, and should announce some concession in duties, if not already done.

The US sanctions against Iran should not come in the way of India importing additional crude from that country. There will be a reduction in the foreign exchange outflow on this account on the basis of the fact that India pays in rupees for oil imports from Iran. This should be pursued vigorously.

Conservation of fuel should start from the Government side. For example, many Ministries in Delhi and Government Departments across the country are using Government vehicles recklessly even for domestic chores and leaving children of VIPs and bureaucrats at schools in Government vehicles. Therefore, the charity should start from home instead of shutting petrol pumps in the night.

Therefore, I urge upon the Government to defer the decision to shut petrol pumps in the night, and take the steps suggested by me.

Thank you.

(Ends)

SHRI ANIL DESAI (MAHARASHTRA): Sir, I associate myself with the issue raised by Shri Sanjay Raut.

(Ends)

(Followed by 1P)

SCH-RG/12.30/1P

RELAXATION IN AGE FOR APPEARING IN CIVIL SERVICES EXAMINATION

श्री रामविलास पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समय-समय पर यूपीएससी के द्वारा जो गाइडलाइन्स बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनसे गरीब और ग्रामीण छात्रों को, उम्मीदवारों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जैसा कि आपको मालूम है, कुछ समय पहले यूपीएससी ने अंग्रेजी और हिन्दी, इन दो भाषाओं को मेन लैंग्वेजिज़ में रखा था। जब सभी दल के लोगों ने विरोध किया, तो सभी रीजनल लैंग्वेजिज़ को भी उनमें जोड़ दिया गया,

लेकिन पाली, जो एक ऐतिहासिक भाषा है और जो भगवान बुद्ध के समय की भाषा है, उसको छोड़ दिया गया।

मेरा दूसरा मुद्दा है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 1989 में परीक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन किया था, जिसमें समस्त युवा भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए तीन अतिरिक्त चांस और आयु सीमा में दो साल की छूट दी गई थी। वह छूट 2010 तक जारी थी, लेकिन 2011 और 2013 में यूपीएससी द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन के बाद अब उन छात्रों को ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। उसे समाप्त कर दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की 62वीं रिपोर्ट यह संकेत करती है कि परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों पर पड़ा है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व घटकर एक-तिहाई से भी कम रह गया है। इससे ग्रामीण उम्मीदवारों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। भारत की सर्वोच्च परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए किए गए इतने व्यापक परिवर्तन के बाद भी ग्रामीण भारत के लाखों युवाओं को 1989 की तर्ज पर अतिरिक्त प्रयास एवं आयु सीमा में छूट न देना चिन्ता का विषय है।

अतः हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सभी अभ्यार्थियों को तीन अतिरिक्त चांस और आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाए। इसके साथ-साथ पाली भाषा, जो एक ऐतिहासिक भाषा है, को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : उपसभापति जी, मैं इनके इस उल्लेख के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (NOMINATED): Sir, I associate myself with it.

श्री अविनाश पांडे (महाराष्ट्र) : सर, मैं इनके इस उल्लेख के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (ANDHRA PRADESH): Sir, I associate myself with it.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं इनके उल्लेख के साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : सर, मैं इनके इस उल्लेख के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। (समाप्त)

NEED FOR PRIME MINISTER'S STATEMENT ON COAL SCAM IN THE LIGHT OF SUPREME COURT'S OBSERVATION

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, सरकार के * लगी है, जिसके कारण दुनिया भर में हमारी फजीहत हुई है। दो दिन पहले जब आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई थी, तब किसी ने

---

* Expunged as ordered by the Chair.

कोयले की फाइल का मुद्दा उठाया। उस समय यहां प्रधान मंत्री जी ने तल्खी में कहा कि मैं फाइल का कस्टोडियन नहीं हूं, मैं फाइल का रखवाला नहीं हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप हैं। आप फाइलों के भी रखवाले हैं और देश के भी रखवाले हैं, लेकिन दोनों काम आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, यही देश का रोना है।

सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, आज का मेरा मुद्दा यही है ...(व्यवधान) सुन लीजिए, सुन लीजिए ...(व्यवधान) उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ...(व्यवधान) एक मिनट ...(व्यवधान) उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिसिंग फाइल के सम्बन्ध में एफआईआर दाखिल करो। मैं पूछना चाहता कि क्या एफआईआर दर्ज हुई?

उपसभापति महोदय, कोयला मंत्री ने कहा कि फाइलें ढूंढ़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में उसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को रखा गया है, जिस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सीबीआई के दफ्तर में जाकर रिपोर्ट बदली थी। ...(व्यवधान) यह रिपोर्ट जिसने बदली और जो उसमें शामिल है, उसी को आप फाइल ढूंढ़ने का काम दे रहे हैं? आप तो * को ही खजाने की चाबी दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फाइलें स्वयं चल कर बाहर चली जाती हैं? क्या किसी ने देखा है कि फाइलें खुद ही ड्राइव करके कहीं चली जा रही हों? फाइलें खुद नहीं चली जाती हैं, फाइलें ले जाई जाती हैं। पीएसी के सामने मैसिव कवर अप के कारण इस सरकार ने यह काम किया है।

(1q/psv-sss पर जारी)

---

* **Expunged as ordered by the Chair.**

श्री प्रकाश जावडेकर (**क्रमागत**): पी.ए.सी. संसद की कमेटी है। उसमें क्या हुआ, यह हम कभी बाहर नहीं बोलते, लेकिन सदन में बोलना ठीक है। पी.ए.सी. के सामने सी.बी.आई. ने जो कहा, जो मंत्रालय ने कहा, उससे साफ है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण फाइलें गुम हो गई हैं। ...(व्यवधान)...

सर, यह मोनुमेंटल स्कैम है और मोनुमेंटल स्कैम में प्रधान मंत्री खुद कोयला मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि किसी का कारण भी नहीं लिखा है कि किसको क्यों दिया और किसको क्यों नहीं दिया है, इसलिए हम माँग करते हैं कि ये फाइलें गायब होने का जो पैनल है, यह बेमतलब का है। उसमें ऐसे लोगों को मत रखो, जिन्होंने पहले ही सी.बी.आई. की रिपोर्ट बदलने का काम किया है और हम यह माँग करते हैं कि दिए हुए वचन के अनुसार पी.एम. को आज सदन में आकर स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके बारे में हमारी क्वेरिज़ लेनी चाहिए। वे रखवाले फाइल के भी हैं और देश के भी हैं, लेकिन दोनों काम ठीक नहीं कर रहे हैं। यह हमारा यहाँ कहना है। ...(व्यवधान)...

(समाप्त)

श्रीमती माया सिंह (**मध्य प्रदेश**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी (**गुजरात**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्री नंद कुमार साय (**छत्तीसगढ़**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर (**गुजरात**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश माथुर (**राजस्थान**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री बसावाराज पाटिल (**कर्णाटक**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री मनसुख एल. मांडविया (**गुजरात**): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

श्री रवि शंकर प्रसाद (**बिहार**): सर, आपको मालूम है कि इस पर बहस हो चुकी है। The Government must give a statement. एक दिन पी.एम. आए थे, इसे हम स्वीकार करते हैं। उस दिन हाउस नहीं हो सका, क्योंकि यह turmoil में था। अभी पी.एम. का स्पष्टीकरण पेंडिंग है। देश एजिटेटेड है, यह एक मोनुमेंटल स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिसिंग फाइल्स के बारे में एफ.आई. आर. कीजिए। ...(व्यवधान)... सर, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: लेकिन रवि शंकर प्रसाद जी, पी.एम. इधर आए थे। ...(व्यवधान)... एक दिन पी.एम. आए थे, ...(व्यवधान)... उस दिन ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, ...(व्यवधान)... उस दिन हाउस नहीं चला। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: पी.एम. की गलती नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अली: सर, ...(व्यवधान)...

डा. प्रभा ठाकुर: सर, ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, उस दिन हाउस नहीं चला। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: It is not the fault of the Prime Minister.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, ...(व्यवधान)... लेकिन, सरकार को बताना चाहिए ...(व्यवधान)... सर, आप देश की आवश्यकता समझें। हम चाहेंगे कि इस पर पी.एम. जवाब दें। ...(व्यवधान)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, the Government should say something on this. ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Okay. ...(Interruptions).... Now we will take up Special Mentions. ...(Interruptions).... You can discuss it in the BAC. ...(Interruptions).... इसे बी.ए.सी. में ले जीजिए। ...(व्यवधान)... Now we will take up Special Mentions. Shri Ram Kripal Yadav to lay on the Table.

श्री राम कृपाल यादव: सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप यह बोलिए कि "I am laying on the Table." Are you laying on the Table?

श्री राम कृपाल यादव: सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): सर, ...(व्यवधान)...

श्री राम कृपाल यादव: सर, क्या वजह है कि आप स्पेशल मेंशन को पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ठीक है। आप अपना स्पेशल मेंशन शाम पाँच बजे पढ़ लीजिए। ...(व्यवधान)... Now, Shri Mansukh Lal Mandaviya. He is not laying. Sardar Sukhdev Singh Dhindsa; he is not present. Shri Vivek Gupta; he is not present. Shrimati Smriti Zubin Irani ...(Interruptions)... She will read it in the evening. Shri Rama Chandra Khuntia; he is not present.

SPECIAL MENTIONS*

MP/9A

DEMAND FOR MAKING A UNIFORM POLICY FOR INCREASE IN TOLL RATES ON NATIONAL HIGHWAYS IN THE COUNTRY

श्री ओम प्रकाश माथुर (**राजस्थान**) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं राष्ट्रीय

---

* Laid on the Table.

राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर-गुड़गांव के बीच 1 सितम्बर, 2013 से टोल दरों में की गई वृद्धि के मुद्दे को सदन में मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, वर्तमान में जयपुर से गुड़गांव के बीच 3 टोल गेट पड़ते हैं क्रमशः मनोहरपुर, दौलतपुरा और शाहजहांपुर, जिन पर अभी निजी चौपहिया वाहनों को एक तरफ से 201 रुपए टोल देना होता है, जिसे अनुबंधित फर्म ने 1 सितम्बर से बढ़ाकर 215 रुपए करने का फैसला किया है, जो अनैतिक है।

महोदय, जयपुर-दिल्ली के बीच पहले फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसे परिवर्तित करके छः लेन का कार्य पांच वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और यह कार्य नवम्बर, 2011 में पूरा हो जाना चाहिए था। स्थिति यह है कि दो वर्ष की देरी के बाद भी अभी न तो प्राधिकरण और न ही अनुबंधित फर्म यह बताने की स्थिति में हैं कि यह कार्य कब पूरा होगा, जिसकी वजह से राजमार्ग पर आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है और जयपुर-दिल्ली का सफर बहुत ही कष्टदायक हो गया है। एनएचएआई के मुख्य महाप्रबंधक के हवाले से खबर है कि ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो रहा है। महोदय, इतनी बड़ी योजना को क्या बिना भूमि अधिग्रहण किए ही प्रारंभ कर दिया गया था? उसकी कोई समय-सीमा तो हो कि कब तक ज़मीन मिल जाएगी और कब यह योजना पूरी होगी?

महोदय, प्रति माह डीज़ल के दामों में वृद्धि अब नियमित रूप से हो रही है, परिणामस्वरूप जयपुर-दिल्ली आना-जाना पहले से अधिक महंगा हो गया है। राजमार्ग की स्थिति यह है कि पहले फिर भी 5 घंटे से कम समय में

जयपुर से दिल्ली आना होता था। गत दो वर्षों से तो यह समय बढ़कर 6 से 7 घंटे हो गया है, वह भी तब जब रास्ते में आए दिन होने वाला जाम न मिले। क्या ऐसे में फर्म द्वारा टोल दरें बढ़ाना न्यायसंगत है? महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या समूचे राष्ट्र में टोल दरों के लिए कोई एक नीति बनी हुई है या नहीं या अनुबंधित फर्में अपने हिसाब से प्रतिवर्ष इसमें इजाफा करती रहती हैं और उन्हें चुकाने के बाद भी आम जनता को उस राजमार्ग पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी किसकी है? और टोल दरों को बढ़ाने के बाद अगर राजमार्ग पर सुविधाएं पूरी मिलें और सफर सुविधाजनक हो तो कोई समस्या नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि एक बार दिल्ली से जयपुर सड़क मार्ग से जाकर देखें कि स्थिति क्या है? इस तरह अनुबंधित फर्मों को टोल दरें बढ़ाने की छूट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई एक समान नीति होनी चाहिए।

(समाप्त)

9B/DS

DEMAND FOR TAKING STEPS TO PROVIDE ADEQUATE FACILITIES TO TOURISTS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN ANDAMAN AND NICOBAR

श्रीमती बिमला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के पर्यटन की तरफ दिलाना चाहती हूँ। हमारे देश में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस संदर्भ में मैं अंडमान-निकोबार का उदाहरण देना चाहूँगी। मैं अपने परिवार के

साथ वहाँ गई थी, लेकिन मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि कुदरत ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, परन्तु हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पोर्टब्लेयर के समुद्री तट पर स्कूबा डाइविंग आदि बहुत सारी गेम्स थीं, परन्तु वहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। वहाँ शौचालय और महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए भी जो स्थान बने थे, वे पत्तियाँ लगाकर बनाए गए थे। वे सब टूटे-फूटे और गंदे थे। फिर हम सरकारी फेरी के द्वारा पोर्टब्लेयर से हैवलॉक गए, जो एशिया का सबसे सुन्दर और दूसरे नम्बर का बीच है। जिस फेरी में हम वहाँ गए, उसमें छः एयरकंडिशनर्स लगे थे, परन्तु सब खराब थे। उनमें से एक भी ए.सी. काम नहीं कर रहा था और वहाँ बहुत ही बुरी हालत थी। वहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ भी सरकार की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं थी और उस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं बनाया गया था। पूछने पर पता चला कि सरकार वहाँ फंड भेजती है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वह पैसा कहाँ जाता है? इन समुद्री तटों को थाईलैंड और अन्य देशों की तरह क्यों नहीं बनाया जाता, जिससे पर्यटकों को सुविधा हो? इससे लोग बार-बार यहाँ आना पसंद करेंगे और देश को आमदनी भी ज्यादा होगी।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि पोर्ट ब्लेयर समुद्री तट पर अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए ताकि अधिक से अधिक सैलानी वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकें।

(समाप्त)

KLS/9C

DEMAND FOR GIVING COMPENSATION AND WAIVING OF CROP LOANS TO FARMERS OF KARNATAKA

SHRI AAYANUR MANJUNATHA (**KARNATAKA**): I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Agriculture towards damages caused by heavy rainfall in Karnataka.

Districts of Shimoga, Chickmangalur, Mangalore, Udipi and North Kanada have been severely affected by heavy rainfall in recent times. Crops like paddy, arecanut, maize, ginger, vegetable, flowers, etc. are lost due to this heavy rainfall. As per estimation given by the Agricultural Department of Karnataka, the loss is estimated about Rs.2,000 crores to Rs.3,000 crores. Crops are also affected by Phytophthora diseases.

Hence, I urge upon the Union Government that: (i) compensation should be given to the farmers; (ii) current year crop loan should be waived; (iii) agricultural loan should be restructured; and (iv) research has to be carried out on Phytophthora disease so that the poor farmers can be saved from loan and financial burden and committing suicides due to excess burden. (Ends)

PK/9D

DEMAND FOR TAKING EFFECTIVE MEASURES FOR SMOOTH DISBURSEMENT OF LOANS UNDER KISSAN CREDIT CARDS SCHEME TO FARMERS IN ASSAM.

SHRI PANKAJ BORA (ASSAM): Loan disbursement to farmers in Assam is very poor. Around 27.5 lacs farm families, of which 85 per cent being small and marginal farmers, are in the need of bank credit. The State Government has taken initiatives to enhance credit flow by simplifying the procedure for Kisan Credit Cards (KCC) and has waived stamp duty on loans up to Rs.50,000.00; it is also giving interest subvention up to Rs.2.0 lacs on all crop loans. The scheme is reviewed regularly at all levels of State Government. But the Nationalised Banks, on one pretext or the other, delay the KCC proposals and harass the farmers. The general Credit Deposit Ratio in Assam is below 46.60 per cent as against the national norms of 60 per cent and the apathy shown by the banks in disbursing KCC loans have compounded the farmers' miseries. The outreach of banking facilities is poor, as population per branch is above 18,000 as against the national average of less than 14,000, and the operating area is 50 sq. km. per branch, making it virtually impossible for a farmer to visit a bank in times of need. Moreover, many branches are under-staffed causing further

misery to the farmers. The banks also do not issue cards and the loan sanctioned is only for a season and not for the whole year and the amount sanctioned is not adequate.

It is, therefore, urged that the Government should immediately look into these matters and initiate immediate effective steps for smooth credit disbursement and should also open more bank branches, especially in remote areas with adequate staff, so that the farmers in Assam can avail themselves of the bank credit facilities.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, now we will take up Statutory Resolution and The National Food Security Bill. Please ...(Interruptions).... बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... All of you please sit down. आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)... All of you please sit down. आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)... रूपाला जी, बैठिए। ...(व्यवधान)... Now we have to take up ...(Interruptions).... Please sit down. ...(Interruptions).... All of you please sit down. Hon. Members, now we have to take up Statutory Resolution and National Food Security Bill. The House knows that both will be discussed together, but I will call the first person who has given the Motion to move the Resolution. If he is not there, then the next person, i.e.

Shri Ravi Shankar Prasad will move the Resolution. We are going to take up the Statutory Resolution and The National Food Security Bill.

(Contd. by KS/1R)

-SSS/KS-VNK/1R/12.40

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Shri Ram Jethmalani to move the Statutory Resolution. Is he present? ...(Interruptions)... He is not present. Shri Ravi Shankar Prasad to move the Resolution.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am making a request to you. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am making a request to you. In my place, the hon. Leader of the Opposition will speak, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the House agrees on that. The hon. Leader of the Opposition to move the Statutory Resolution.

श्री साबिर अलीः सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अलीः सर, मैं आपसे एक मिनट का समय मांगता रहा ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः कृपया, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अलीः सर, पेट्रोलियम पर बोलने का मौका मुझे नहीं दिया गया ...(व्यवधान)... यह मामला इस देश से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)... यह मामला पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)...

श्री साबिर अलीः यह मामला व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे इस पर बोलने के लिए आधा मिनट का समय मांग रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप एलओपी को सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)... Don't behave like this. ...(Interruptions)... It is indiscipline. बैठिए, बैठिए। आप एलओपी को सुन लीजिए।

...(व्यवधान)... No, no. It is not going on record. ...(Interruptions)...

श्री साबिर अलीः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not going on record. ...(Interruptions)...

श्री साबिर अलीः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)... It is not going on record. Take your seat.

श्री साबिर अलीः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. It is not going on record. You sit down.

श्री साबिर अलीः *

---

* **Not recorded.**

श्री उपसभापतिः वह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)... इस तरह से बोलने से क्या फायदा है। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अलीः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are wasting the time. ...(Interruptions)... Don't waste the time of the House.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I request his Party leaders to ask him to sit down.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have given the floor to the hon. LoP. ...(Interruptions)... Please sit down.

श्री साबिर अली: *

---

* **Not recorded.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this?

श्री साबिर अली: *

श्री उपसभापति: आप ज़ीरो ऑवर के लिए नोटिस दे दीजिए। ...(व्यवधान)... This is not going on record.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, what is this? Sit down.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. You sit down.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please! Take your seat. What is this?

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very bad. Very unfortunate! One Member...

श्री साबिर अली: *

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अली: *

---

* **Not recorded.**

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप फ्रेश नोटिस दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is not going on record.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. It is indiscipline.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is the height of indiscipline.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Height of indiscipline! ...(Interruptions)... Don't behave like that.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)... You sit down there.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am asking you to sit down.

श्री साबिर अली: *

---

* **Not recorded.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am saying, you sit down there.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down there.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will have to expel you if you behave in this way. ...(Interruptions)... Sit down there.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want me to expel you? ...(Interruptions)... What are you doing? ...(Interruptions)... Very bad! I would request his seniors to advise him. ...(Interruptions)... Is there anybody who can influence him?

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think his Party leaders are sitting here. Why don't you advise him, N. K. Singh sahib?

श्री साबिर अली: *

---

* **Not recorded.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is he saying? ...(Interruptions)... What can I do?

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What does he want? ...(Interruptions)... I don't know. ...(Interruptions)... If he wants to say something, he can give Notice.

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What does he want? He has been speaking for the last ten minutes. ...(Interruptions)... क्या करना है? ...(व्यवधान)...

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is his problem? ...(Interruptions)... What is your problem?

श्री साबिर अली: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Zero Hour is over. How can I bring back Zero Hour now? (CONTD. BY TDB/1S)

---

* **Not recorded.**

TDB-DS/1S/12.45

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): N.K Singhji, can I bring back Zero Hour now? It is over. ...(Interruptions)...

SHRI N.K. SINGH: Sir, he wants to speak for only one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is speaking for ten minutes. ...(Interruptions)...

SHRI SABIR ALI: I will take only 30 seconds, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken ten minutes. What are you saying? ...(Interruptions)... अच्छा बोलिए, what you want to speak.

HIKE IN PETROL AND DIESEL PRICES FOR THE SIXTH TIME IN THIS YEAR (contd.)

श्री साबिर अली (**बिहार**): सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ओएनजीसी, जो पेट्रोलियम पदार्थ की सबसे बड़ी संस्था है, जो यहाँ डोमेस्टिक उत्पादन करती है, उसने विदेशों में 2007 में कम्पनीज़ खरीदीं और उसमें 2.1 बिलियन डॉलर्स लगाए, जबकि उससे आज तक एक रुपये की भी आमदनी नहीं आई। जो लोग उसमें मुलव्विस थे, आज उनको फिर बड़ी कम्पनी का चेयरमैन बना दिया गया, ऑयल इंडिया कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ओएनजीसी का जो चेयरमैन है, वह हर साल सिर्फ रिग में और उसकी देखभाल में पेट्रोलियम कंपनी के छः हजार करोड़ रुपये खर्च करता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ रहता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. Now, you sit down. ...(Interruptions)...अब आप बैठिए। ..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली: सर, ऑयल प्रॉडक्ट्स ..(व्यवधान)..सिर्फ एक्सपोर्ट पर 15 हजार करोड़ का न सिर्फ डिफरेंस है,..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: अब आप बैठिए।..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली: सर, यह देश के लिए है।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: अब आप बैठिए।..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली: सर, हम 25 हजार करोड़ की बात करते हैं। सिर्फ ओएनजीसी एक ऐसी संस्था है कि अगर वह ईमानदारी से ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: मेरी प्रार्थना है कि अब आप बैठिए।..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली: सर, मैं पाँच साल से उस कमिटी में हूँ।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: मेरी प्रार्थना है कि अब आप बैठिए।..(व्यवधान)..

श्री साबिर अली: सर, मैं यह जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 40 हजार करोड़ सिर्फ लीकेजेज़ से बचाए जा सकते हैं।..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't waste time. You have made your point. I have allowed you.

श्री साबिर अली: लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती।..(व्यवधान)..

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One Member taking the House to ransom. I will be forced to adjourn. ...(Interruptions)... Now, hon. Leader of the Opposition.

STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING THE NATIONAL FOOD SECURITY ORDINANCE (NO. 7 OF 2013) AND THE NATIONAL FOOD SECURITY BILL, 2013

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I move:

"That this House disapproves the National Food Security

Ordinance (No. 7 of 2013) promulgated by the President

of India on 5th July, 2013."

माननीय उपसभापति जी, जो प्रस्तावना मैंने की है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा क़ानून के संबंध में जो अध्यादेश आया, वह अध्यादेश के अधिकार का दुरुपयोग था। खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार मिले, मेरी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है, लेकिन जिस तरीके से यह अध्यादेश लाया गया और इस क़ानून के अंदर जो लिखा है, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है।

यह अध्यादेश 5 जुलाई 2013 को आया। संविधान की धारा 123 के तहत अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र बुलाने में समय हो और कोई ऐसा विषय आ गया हो जो सत्र के आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। If there is a matter of utmost urgency which can't await the session of Parliament, therefore, the Ordinance-issuing power of the Government is used, which is like an executive legislation. 5 जुलाई 2013 को ऑर्डिनेंस आया और 6 अगस्त 2013 को यह सेशन आरंभ होना था। 30 दिनों का समय था। 30 दिनों में ऐसा क्या होने वाला था कि संसद के दोनों सदन चर्चा करके इसको पारित कर देते, इसमें सुधार ले आते, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं सकते थे? क्या इस बिल में कुछ ऐसा था कि 30 दिनों में हमें केवल ये कुछ कार्य करने थे? मैंने जब इस ऑर्डिनेंस को पढ़ा, तो इसके क्लॉज़ तीन में लिखा है, "Every person belonging to priority

households, identified under sub-section (1) of Section 10, shall be entitled to receive a certain amount of foodgrains." ऐसे जो घर हैं, जिनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको रियायती दर पर पाँच किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा। क्लॉज़ नौ में है कि यह कितने लोगों को दिया जाएगा, यह केन्द्र की सरकार तय करेगी। क्लॉज़ 10 यह कहता है कि इस प्राथमिकता में कौन लोग आएँगे, यह राज्य तय करेंगे। क्लॉज़ 10(1) का प्रोवाइज़ो कहता है, "Provided that the State Government may, as soon as possible, but within a period not exceeding 365 days, after the commencement of this Act, identify the eligible households in accordance with the guidelines framed under this sub-section".

(Contd. by 1t-mcm/kls)

DS/KLS-MCM/1T-12.50

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : अभी गाइडलाइंस बननी हैं, उन गाइडलाइंस के बाद 365 दिन यानी एक वर्ष के अंदर जिन घरों को यह अनाज मिलेगा उसकी प्राथमिकता की सूची बनेगी। उसके बाद यह डिस्ट्रिब्यूशन होगा। तो इन 30 दिनों में तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन इन 30 दिनों की प्राथमिकता यह थी कि शायद कोई राजनीतिक संकेत देना चाहता था कि किसी राज्य सरकार को कहे कि एक सांकेतिक कार्यक्रम कर लीजिए आप। अब किसी की राजनीतिक उपलब्धि हो या राजनीतिक संकेत देना है, वह आर्डिनेंस इश्युइंग पॉवर को जस्टिफाई नहीं करता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यह संवैधानिक अधिकार है। इसका सही उपयोग होता है कि

30 दिनों के अंदर कुछ-न-कुछ इसकी कार्यवाही आरम्भ होनी थी। क्या गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी हैं? क्या राज्यों को यह लिख दिया गया है कि यह गाइडलाइंस हैं और 365 दिन या उससे भीतर जो अवधि है, आप उस अवधि में प्राथमिकता के आधार पर इन घरों की सूची बनाइए? आज तक तो यह हुआ नहीं है और इसलिए 30 दिनों की हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और आर्डिनेंस के रूप से लाएं, यह राजनीतिक निर्णय हो सकता है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।

महोदय, दूसरा, मैंने बार-बार इस कानून को पढ़ा है। कम से कम 30 ऐसी जिम्मेदारियां हैं रेस्पांसिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लीगेशंस हैं, अधिकार हैं, जो प्रायः राज्य सरकारों के हैं। राशन कार्ड कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इस अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? राज्य सरकार। अगर इस लिस्ट को बदलना है तो कौन करेगा? राज्य सरकार। आंगनबाड़ियों का प्रयोग करना है तो उसकी लिस्ट कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अगर क्लॉज-8 में खाद्यान्न के बदले में पैसा देना है तो यह निर्णय राज्य सरकार लेगी। पूरी लिस्ट राज्य सरकार बनाएगी प्रॉयोरिटी हाऊसहोल्ड की। इसमें जो रिफॉर्म्स हैं, वह केन्द्र भी कर सकता है और राज्य सरकार भी कर सकती है। ग्रिविएंस रिड्रेसल में जिसको शिकायत है वह राज्य सरकार के समक्ष जाएगा। उस मकेनिज्म को सैटअप करने का अधिकार राज्य सरकार का है। स्टेट फूड कमीशन होगा जिसके सामने विवाद चलेंगे। वह कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कि पूरी मॉनिटरिंग क्लॉज 24 में इस कानून के तहत राज्य सरकार की होगी। अगर लोकल अथॉरिटीज का,

म्युनिसिपैलिटीज़ का प्रयोग होगा तो राज्य सरकार तय करेगी कि कौन सी हैं। इस के अतिरिक्त क्लॉज 40 में जो रूल्स बनेंगे, वह कौन बनाएगा? राज्य सरकार। उपसभापति महोदय, इस देश में एक संघीय ढांचा है। We have a federal structure और इस कानून को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वह राज्य सरकारों को दे दी गयी है।

डा0 कर्ण सिंह : इसीलिए राज्य सरकारों को दी गई हैं।

श्री अरुण जेटली : मैं उसका स्वागत कर रहा हूं और अगर केन्द्र चाहे तो किसी राज्य में घुसकर इस का डॉयरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे, तो वह संभव भी नहीं है। अब राज्यों के कितने मुख्य मंत्री हैं जो अपने राज्यों के अलग-अलग सुझाव दे रहे हैं। Different Chief Ministers are giving different suggestions. Several Chief Ministers are writing to the Centre about 'what are the peculiarities of the scheme which will suit my State, the extent of coverage, the kind of nutritious food to be given, the extent of food to be given, the wages of food to be given, etc.' All these are matters which the Chief Ministers of States are writing about, 'I have schemes in my State which are better and superior schemes and I would like to continue with them.' If they want to do that, so this whole concept that the Centre decides one size and that one size will fit everyone irrespective of the peculiar situation in the States. तो इसलिए शायद यह आपके लिए आवश्यक होता कि खाद्यान्न का अधिकार हो, लेकिन हर राज्य के अनुकूल उसका जो

लचीलापन या फ्लैक्सिबिलिटीज है हर राज्य के अनुकूल, अगर आप उन्हें राज्यों के ऊपर छोड़ देते, तो जो मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि मेरे राज्य की योजना इससे बेहतर है या मेरे राज्य की जो प्राथमिकता और आवश्यकता है, वह इस कानून से अलग है, तो शायद बेहतर होता।

उपसभापति जी, एक तर्क दिया जा रहा है कि जो मौजूदा योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एनटाइटलमेंट है, अधिकार नहीं है और इस के बाद एक अधिकार मिलेगा।

(1U/PK/HMS प्र जारी)

PK-HMS/1U/12.55

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD.): Entitlement will now become a right. Sir, at times, the devil is in the details. I would like the hon. Minister to read with me the most important clause, clause 3(2). The argument is that 75 per cent of the rural population and 50 per cent of the urban population is going to *ipso facto* benefit from this. Look at the language now. It says, " The entitlements of persons belonging to eligible households referred to in sub-section (1) at subsidised prices shall extend up to...." I repeat and underline 'shall extend up to seventy-five per cent of the rural population and up to fifty per cent of the urban population.' The way it is drafted, ".. seventy-five per cent of rural house population and fifty per cent of urban population...." is not the

base, it is the outer cap. This cap is not a fixed cap. Read clause 2 now in conjuction with clause 9. It says, "The percentage coverage under the Targetted Public Distribution System in rural and urban areas for each State shall, subject to sub-section (2) of section 3, be determined by the Central Government and the total number of persons to be covered in such rural and urban areas of the State shall be calculated on the basis of the population estimates..." तो आउटर लिमिट 75 फीसदी और 50 फीसदी होगी। यह कैप है, बेस नहीं है, इसलिए क्लॉज 9 के तहत भी इस में लचीलापन और फ्लैक्सिबिलिटी का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है। तो इस लिमिट को 75 फीसदी और 50 फीसदी तक ले जाना है, कितना कम करना है, वह अधिकार आपने अपने पास रख लिया है।

उपसभापति जी, मैंने इस बिल का अध्ययन किया और पाया कि बेहतर होता कि आप इस का नाम परिवर्तित कर देते। आप ने नेशनल फूड सेक्युरिटी बिल और ऐक्ट, जब यह ऐक्ट बन जाएगा, effectively, it is a repackaging of all existing food schemes. आपने मौजूदा स्कीम्स को परिवर्तित कर के एक नया रूप दे दिया। मैं यह इस आधार पर कह रहा हूं कि इसी सदन में 23 अगस्त को हमारे साथी नरेश गुजराल जी ने एक प्रश्न पूछा था कि मौजूदा योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और यह कानून बन जाने पर कितना पैसा खर्च होगा? माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया, उसे मैं यहां पढ़ देता हूं, "Now it is 2013. Even if there is

no Food Security Bill, our subsidy will go up to Rs.1,13,000 crores. Now, when the Food Security Bill is implemented, which includes many schemes, like the Mid-Day Meal Scheme and other schemes for women and children, all these things together, the subsidy will be about Rs. 1, 25,000 crores."

तो 12 हजार करोड़ रुपया मौजूदा योजनाओं में हम और जोड़ देंगे, यह मंत्री जी का कहना है।

(1 डबल्यू/एमपी पर जरी)

MP-PB/1.00/1w

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : मैंने बजट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन सारे दस्तावेज़ों को पढ़ा कि मौजूदा साल के बजट में खाद्यान्न की जितनी योजनाएं हैं, उनके ऊपर आपने कितना अमाउंट ऐलोकेट किया। Food Subsidy *via* Targeted Public Distribution Scheme, including Rs. 10,000 crores, जो एडिशनल कहा -- Rs. 91,034 crores. Mid Day Meal Scheme – Rs. 13,215 crores; Integrated Child Development Scheme – Rs. 17,700 crores; National Food Security Mission – Rs. 2250 crores; National Nutrition Mission: Computerization of PDS – Rs. 200 crores; Warehousing – Rs.145 crores. मौजूदा बजट में यह प्रावधान था और यह प्रावधान 1 लाख 13 हज़ार करोड़ का नहीं था, जो आपने कहा। मैंने इसका कुल योग लगाया तो वह है, 1 लाख 24 हज़ार 844 करोड़। The total amount provided in this year's Budget on all Food

Schemes, even without this Act or Bill or Ordinance, is Rs.1,24,844 crores. You have re-packaged that and now say, 'it will become an Act.' You say, 'my Schemes were an entitlement but the Act is a right.' The Act says, '... will extend up to ...' So, the language is flexible. How much it can be reduced, how much it can be raised -- you keep that power reserved to yourself in the Act. Not this alone. You can look at it in another way. 'How many people are covered under your existing schemes?' यह भी आपका संसद में ही उत्तर है। मौजूदा योजनाओं में कितने लोग कवर्ड हैं? अलग-अलग ऐस्टिमेट्स हैं कि परिवार में 4.6 लोग होते हैं या 4.8 होते हैं। We can keep that academic argument apart. जितनी मौजूदा योजनाएं हैं, उसमें सस्ता अनाज कितने लोगों को मिल रहा है? 82.99 करोड़ को। अगर आपका यह पूरा 'extend up to' छोड़ दिया जाए और 75 परसेंट रूरल और 50 परसेंट अर्बन ले लिया जाए, तो आज की जनसंख्या के आधार पर this 82.99 crores will become 81.37 crores. What a great achievement! So, you have extended it to poor people. You have, in fact, cut down the number of people. Now, what do you do with States? And, many States — and here this is a Council of States and therefore I raise the issue of States — are represented through their Members elected in the Rajya Sabha here, and that is what the Chief Ministers are writing to you. There are States with existing

Schemes which are superior. आप पांच किलो अनाज देंगे। अगर परिवार का औसतन साइज़ 4.6 या 4.8 भी ले लिया जाए, तो 23 या 24 किलो अनाज हो गया। अब उस राज्य का क्या करें, जैसे छत्तीसगढ़, जो 35 किलो अनाज दे रहा है? आपकी योजना मानें या अपनी मानें और उसको कम करें? आप कह रहे हैं कि दो रुपए, तीन रुपए पर दूंगा, लेकिन वह तो एक रुपए के हिसाब से पैंतीस किलो दे रहा है। तो क्या आपके कहने पर वह डबल या ट्रिपल करेगा? आप सिर्फ अनाज दे रहे हैं, वह भी पांच किलो प्रति व्यक्ति, वह अनाज भी देता है, चना भी देता है, आयोडाइज्ड नमक भी देता है, चीनी भी देता है, दाल भी देता है और नमक तो फ्री में देता है। ऐसा केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, ये योजनाएं और राज्यों की भी हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और इसमें लिखिए कि जो राज्य हमसे बेहतर योजना के तहत दे रहे हैं, उन राज्यों की योजनाएं चलती रहेंगी, वे कम नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)... आपकी जो योजना है, वह केवल अनाज की है, फूडग्रेन्स की है। उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उसमें प्रोटीन भी है, अन्य चीज़ें भी हैं। उसमें और सुधार की गुंजाइश हो सकती है। विस्तृत रूप से मेरे सहयोगी वेंकैया जी इस पर बोलेंगे, लेकिन मेरा मूल प्रश्न है कि...

(1X/GS-SKC पर जारी)

-PB/SKC-/1X/1.05

श्री अरुण जेटली (क्रमागत): ऐसी कौन सी आफत आ रही थी जिसकी वजह से इतनी जल्दी थी? मौजूदा योजनाएं थीं – एक लाख 24 हजार करोड़ से ज्यादा उन पर खर्च किया जा रहा था, उसको एक लाख 25 हजार करोड़ में बदलना है। राज्यों में यह योजना चल रही है। अगर entitlement को राइट में बदलना है, तो 30 दिन की प्रतीक्षा भी हो सकती थी, फिर आप ये "extend up to" न करते । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आर्डिनेंस इश्यू करने के लिए कौन सी जल्दी और आफत थी कि इस तरह का कानून और वह कानून, जो पूर्ण रूप से राज्यों में लागू करना है, राज्यों के पास इससे बेहतर योजनाएं हैं । क्या ऐसा करने के लिए आप संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? इसलिए आपने अपने Ordinance-issuing power के अधिकार का दुरुपयोग किया। धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the hon. Minister would now move the National Food Security Bill, 2013 for consideration.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, I beg to move...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, he is not speaking into the mike. It is not audible. ...(Interruptions)... The hon. Minister lacks conviction in the Bill. That is why he is not...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please, come to the mike. आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Speak louder. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, there is no voice security! ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, please. ...(Interruptions)... Please speak into the mike, Mr. Minister. ...(Interruptions).... Speak louder. ...(Interruptions).... After the Minister moves the Bill, we would have a break.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I think the Minister's food security is important and so, you should break for lunch. ...(Interruptions)... Let us break for lunch. Let him eat and come back, so that we could all hear him. ...(Interruptions)...

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I move:

> That the Bill to provide for food and nutritional security in human life cycle approach, by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity and for matter connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, would you like to say something?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I would do that later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right; he would speak after discussion. Now, hon. Members, the Statutory Resolution has been moved; the Bill for consideration has also been moved. As per practice, we would take the discussion together. Now, it is almost 1.10 p.m. Shall we decide that there would be no lunch-break?

SOME HON. MEMBERS: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Let us have lunch-break up to 2.00 p.m.

The House is adjourned up to 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch
at eight minutes past one of the clock.